भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2415

13 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषोन्नति योजना का पुनर्गठन

2415. श्री तेजवीर सिंहः

श्रीमती किरण चौधरी**:**

श्रीमती रेखा शर्माः

श्री मिथलेश कुमारः

श्री मदन राठौड़ः

श्री रायगा कृष्णैयाः

श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभाः

डा**.** अनिल सुखदेवराव बोंडे**:**

श्री बृज लालः

डा**.** परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः

श्री नरहरी अमीनः

डा**.** मेधा विश्राम कुलकर्णी**:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय बजट 2026 में कृषोन्नति योजना के पुनर्गठन हेतु कुल कितना आवंटन किया गया है, साथ ही इसके मुख्य घटक और उद्देश्य क्या हैं जिनके लिए धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत निर्धारित विशिष्ट लक्ष्य या मानक, जिनमें समय-सीमा और मापनीय संकेतक शामिल हैं, क्या हैं;

(ग) कृषोन्नति योजना के अंतर्गत किसान स्तर पर आय में सुधार पर नज़र रखने और मापन हेतु डेटा स्रोतों और रिपोर्टिंग प्रणालियों सहित प्रस्तावित तंत्र क्या हैं; और

(घ) कृषोन्नति योजना को सिंचाई, फसल विविधीकरण, बाजार पहुंच और मूल्य समर्थन से संबंधित केंद्र और राज्य की अन्य योजनाओं के साथ एकीकृत करने की योजना किस प्रकार बनाई गई है ताकि समग्र प्रभाव प्राप्त किया जा सके?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (घ): कृषोन्नति योजना (केवाई) एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसका कुल परिव्यय 15वें वित्त आयोग (एफएफसी) के दौरान अर्थात वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 44246.89 करोड़ रुपये है। वर्तमान में इस योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)

(ii) बीज एवं रोपण उप-मिशन (एसएमएसपी)

(iii) राष्ट्रीय खाद्य तेल-ऑयलपाम मिशन (एनएमईओ-ओपी)

(iv) राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ-ओएस)

(v) समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

(vi) राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)

(vii) कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)

(viii) पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)

(ix) एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)

(x) डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम)

(xi) दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

वर्तमान में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की केंद्र प्रायोजित योजनाएँ दो व्यापक योजनाओं के अंतर्गत आती हैं- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई)। 16वें वित्त आयोग (एफसी) की अवधि के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल करने वाली एक व्यापक योजना के लिए व्यय वित्त आयोग (ईएफसी) का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मसौदे को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा गया है।

पुनर्गठन, फंडिंग फ्रेमवर्क, विशिष्ट लक्ष्य या मानदंड, निगरानी तंत्र, फंड आवंटन के लिए मानदंड और वेटेज, विशेष प्रावधान या अतिरिक्त आवंटन, अन्य केंद्रीय और राज्य कृषि योजनाओं के साथ एकीकरण से संबंधित विवरण, ईएफसी के मसौदे को अंतिम रूप देने और उचित परामर्श के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित होने पर उपलब्ध होंगे।
